प्रेस नोट संख्या- 11

दिनांक- 10.01.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित व 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 04.12.2025 को राकेश वर्मा पुत्र स्व0 शिव वरन वर्मा उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम डिहवा मजरे दुर्गापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी अपने खेत में आलू की मेढ़ी चढ़ा रहे थे उसी समय उनका भाई दिनेश वर्मा खेत पहुंचकर राकेश वर्मा से कुदाल छीनकर उसी कुदाल से राकेश वर्मा के सिर पर मार दिया गया था जिससे राकेश वर्मा की मृत्यु हो गई थी तथा शव को 300 मीटर दूर झाड़ियों में डालकर मौके से भाग गया था। मृतक के परिजन द्वारा थाना पीपरपुर पर तहरीर देकर मु0अ0सं0 142/25 धारा 103(1), 238 बीएनएस बनाम दिनेश वर्मा पुत्र स्व0 शिव वरन वर्मा निवासी पता उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.01.2026 को क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र स्व0 शिव वरन वर्मा निवासी डिहवा मजरे दुर्गापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल एक कुदाल रेलवे स्टेशन पीपरपुर के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 04.12.2025 को आलू के खेत में काम कर रहे अपने भाई के सिर पर कुदाल से मार कर हत्या कर दिया था तथा रेलवे स्टेशन पीपरपुर के पास झाड़ियों में कुदाल छिपाकर ट्रेन पकड़ कर चला गया था तब से बचते हुए इधर-उधर घूम-फिर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदया द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- दिनेश वर्मा पुत्र स्व0 शिव वरन वर्मा निवासी डिहवा मजरे दुर्गापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 142/25 धारा 103(1), 238 बीएनएस थाना पीपरपुर जनपद अमेठी। (में वांछित व 25 हजार रुपये का इनामिया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राम पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रामचेत यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार राय थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
4. का0 उदित यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
5. का0 रूपेश यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
6. का0 अनुज सिंह थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।